न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

प्रथम लिंक अधिकारी

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

जसोदा कंवर व अन्य

बनाम

मदनसिंह इत्यादि

उपस्थित

1. श्री कुन्दनसिंह, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री पी.सी. पुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या छः

आदेश

दिनांक 11 फरवरी 2026

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 188/2025 बअनवान जसोदा कंवर व अन्य बनाम मदनसिंह इत्यादि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 06 जनवरी 2026 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम कोठा के खसरा खसरा नम्बर 109 रकबा 37 बीघा, खसरा नम्बर 185 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा, खेत खसरा नम्बर 187 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 188 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 189 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 190 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 191 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 194 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 196 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 197 रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 473 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 497 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 506 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा कुल खसरा 15 कुल रकबा 172 बीघा 11 बिस्वा का पर्चा लगान प्रार्थीगण/अपीलांट्स के पिता मुतवफी राजुसिह व उनके भाई भंवरसिह के नाम से संयुक्त रूप से जारी किया गया था। इस कारण वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। अपीलांट्स के पिता राजुसिह एवं उनके भाई भंवरसिंह के नाम राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज होने के पश्चात् अपीलांट्स के पिता राजुसिंह का देहान्त सन् 1995 में हो गया था। अपीलांट्स के के पिता राजुसिंह के देहान्त के पश्चात् विधिनुसार उपरोक्त पैतृक वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स एवं रेस्पो. 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी में इन्द्राज की जानी चाहिये थी, परन्तु अपीलार्थीनीगण के भाईयो विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पटवारी हल्का से षडयंत्र रचकर वादग्रस्त खेतो की पैतृक भूमि का नामान्तकरण संख्या 79 अपने व अपने भाईयो अपनी माता के पक्ष में करवा दिया गया एवं अपीलांट्स का नाम विलोपित कर दिया गया, जबकि वास्तव में मुतवफी राजुसिंह के देहान्त के पश्चात् उनके वैध प्रथम श्रेणी के उतराधिकारीयो में उनके तीनो पुत्रो व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

माता के साथ उनकी पुत्रीयां (अपीलांट्स) थे। रेस्पोडेंट्स द्वारा वर्तमान में राजस्व रेकर्ड का फायदा उठात हुए वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 6 को लीज पर दी गई है। रेस्पो. संख्या छः अपनी ताकत के बल पर जबरदस्ती अपीलांट्स को मौके से बेदखल कर उसकी पुश्तैनी भूमि में सोलर प्लांट लगाने पर आमादा है। कानूनन रेस्पो. संख्या छः को अपीलार्थीनी की पुश्तैनी भूमि पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स की पैतृक भूमि होने से उसमें अपीलांट्स का जन्म से ही हक निहित हो चुके है तथा अपीलांट्स के भाइयो द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि को बेचान/लीज किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के हिस्से तक उक्त भूमि का बेचान/लीज प्रारम्भतः शून्य है। ऐसे बेचानो/लीज से क्रेता को किसी प्रकार के कोई हक जागृत नहीं होते है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट्य की ओर से अपने केस को बखूबी साबित किये जाने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेख पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश प्रस्तुत अभिलेख एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या छः अपीलार्थी को उपरोक्त भूमि पर से जबरन बेदखल करने पर उतारू है। यदि वे अपने उद्धेश्य में सफल हो गये तो अपीलांट के वाद को मूल मकसद ही समाप्त हो जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे अपीलाधीन आदेश दिनाक 16.12.2025 को निरस्त किया जावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में रेस्पो. संख्या छः की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि वादग्रस्त जायदाद वर्तमान संधारित राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राजात के अनुसार उक्त भूमि वर्तमान खातेदारान द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–6 को 29 वर्ष 11 माह की अवधि के लिए जरिये पंजीकृत लीज डीड के दिनांक 21.12.2023 को ही सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से लीज पर दी जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–6 को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या–6 द्वारा उक्त भूमि के स्वरूप व प्रकृति को नियमानुसार भू–राजस्व अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों के अधीन विरचित किये गये भू–रूपान्तरण नियमों के तहत भूमि का स्वरूप व प्रकृति कृषि से भिन्न यानि सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए रूपान्तरित करवाई जा चुकी है और उक्त रूपान्तरित भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या–6 द्वारा एक वर्ष पूर्व ही सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से भूमि को समतल करते हुए पाइलिंग एवम् अन्य आवश्यक ऊर्जा उत्पादक संरचना का निर्माण कार्य करवाया जा चुका है, जो वर्तमान में भी प्रगति पर है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा इस तथ्य को साबित करने हेतु पूर्व में इस माननीय न्यायालय के समक्ष मौके के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये जा चुके है एवम् न्यायालय द्वारा तहसीलदार, फतेहगढ़ से मौका कमिश्नर रिपोर्ट भी तलब करवाई जा चुकी है, जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त जायदाद पर किसी प्रकार का कोई कब्जा आधिपत्य नहीं है। इसके विपरित रेस्पोडेन्ट संख्या–6 की चार दीवारी, पाईलिंग, विद्युत पोल, स्थापित किये हुये है, ऐसी परिस्थितियों में अपील का वादग्रस्त जायदाद पर आज रोज ना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तो खातेदारी अधिकार है और ना ही किसी प्रकार का कब्जा आधिपत्य व स्वामित्व हीं है। ऐसी सूरत में कब्जे के अभाव में अपीलान्ट के हक में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा वास्तविक स्वामी के विरूद्ध जारी नहीं की जा सकती। रेस्पोडेन्ट संख्या छः द्वारा जो संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, उक्त ऊर्जा उत्पादन अवसंरचना परियोजना की तारीफ में आता हैं और उक्त भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा परियोजना के लिए सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत भारत सरकार की पहल पर किया जा रहा है। सार्वजनिक प्रस्तावित परियोजनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कानूनी विवादों के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 एवम् संशोधित अधिनियम 2018 की धारा–20ए के अनुसार अवसरंचना परियोजनाओं से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबन्ध किये गये है, जिसके तहत न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश वहां मंजूर नहीं किया जायेगा, जहां व्यादेश की मंजूरी के लिए ऐसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा करने में कोई अड़चन आती हो या विलम्ब होता हो। अधिनियम 1963 की अनुसूचि की क्रम संख्या–2 में उल्लेखित है और ऐसे विवादों को सुनने का अधिकार धारा–20–बी अधिनियम, 1963 के अनुसार विशेष न्यायालय को ही है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा–20 (ए), धारा–20 (बी) व 41 (एच) (ए) निम्न प्रकार है :–

"Section 20&A- Special provisions for contract relating to infrastructue project:

(1) No injuction shall be granted by a court in a suit under this Act involving a contract relating to an infrastructure project specified in the schedule, where granting injunction would cause impediment or delay in the progress or completion of such infrascture project."

"Section 20&B- Special Courts:

The State Government] in consultation with the Chief Justice of the High Court, shall designate, by notification published in the Official Gazette, one or more Civil Courts as Special Courts, within the local limits of the area to exercise jurisdiction and to try a suit under this Act in respect of contracts relating to infrastructure projects."

Section 41- Injuction when refused -

An injuction cannot be granted-

उपरोक्त कानूनी प्रावधानों के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद दायर किया गया था, उक्त वाद कानूनन पोषणीय नहीं है और न ही अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार ही था। जब कानूनन अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद ही पोषणीय नहीं है तो उसकी निरन्तरता में प्रस्तुत की गई अपील भी पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जल ग्रहण विकास संस्था बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या–8472/2021 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2022 में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा–20ए (बी) धारा–41 एच (ए) का उल्लेख करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि – "Apparently thus, granting any

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

injunction against the infrastructual project of great importance to the mother earth and the entire humanity would be contrary to the mandate of the statutory provison"

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2020 (पंजाब एण्ड हरियाणा) पेज 195 महेन्द्र सिंह व अन्य बनाम यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया में यह अभिनिर्धारित किया है कि – "Therefore, both the Courts below are perfectly justified in holding that the relief claimed by the petitioners cannot be granted in view of the bar contained in Section 41(ha) of the Specific Relief Act, 1963."

इसी प्रकार एक अन्य न्यायिक निर्णय रोडवेज सोल्यूएशन इण्डिया इन्फा लिमिटेड बनाम एन.एच.ए.आई. 2023 एस.सी.सी. ऑनलाईन दिल्ली पेज 3082 निर्णय दिनांक 24.05.2024 में यह अभिनिर्धारित किया है कि:– "The Court obswerved that "Sections 20A and 41(ha) of the SRA expressed the legislative intent to not grant injunctions relating to infrastructe projects where delay might be caused by such an injunction. The whole purpose and objective introduced this provision by way of amendment was to promote foreign investment and build investor confidencein the infrastructure sector of India- Public Private Partnerships had long suffered due to the prolonged delays and cost overruns in timely execution of infrastructure projects. Further, any public work must progress without interruption. Thereby, the role of Courts in this exercise was to interfere to the minimum extent so that public work projects were not impleaded or stalled." Thus, the Court opined that Section 20A and 41 (ha) of the SRA would apply to the present case and an injunction would be tantamount to further delaying the infrastrure project."

विधिक दृष्टांत दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रामकृपालसिंह कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड बनाम इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के मामले में खण्डपीठ द्वारा दिनांक 15.12.2022 को पारित किये गये निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि– "Section 20A prohibits a court from granting injunction in a case involving a contract relating to infrastructure Project as specified in the schedule- The respondent refinery is an oil refinery which is covered in serial No- 2, category Energy, being an oil refinery and as such in terms of Section 20-A read with Section 41 (ha), an injunction cannot be granted to the Appellant. Grant of injunction in the present case would entail that hte third party that has been subsequently awarded the contract would not be able to perform the contract till the time the Suit is dispoed of which would impede and delay the progress and completion ofthe eÛpansion project of the oil refinery."

हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 01/2026(जी.सी.एम.एस. नंबर 2026/18) बअनवान जसोदा कंवर व अन्य बनाम मदनसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

याचिका संख्या–20714/2025 ए.एम.पी.एनर्जी ग्रीन टेन प्राईवेट लिमिटेड बनाम लादूसिंह के प्रकरण में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा–20ए का उल्लेख करते हुए राजस्व अपील अधिकारी द्वारा जारी किये गये अन्तरिम निषेधाज्ञा के प्रभाव एवम् क्रियान्वयन को स्थगित करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि अवसंरचना प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का अड़चन अथवा विलम्ब होता है तो ऐसे प्रकरणों में निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इससे भी यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में हस्तक्षेप किये जाने का कोई कानूनी कारण प्रथम दृष्टया प्रकट ही नहीं होता है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

रेस्पो.

अंत में रेस्पो. संख्या छः के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को सव्यय खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ससम्मान परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान रेकर्डेड खातेदारान् द्वारा रेस्पो. संख्या छः के पक्ष में लीज डीड निष्पादित कर वादग्रस्त आराजीयात 29 वर्ष 11 माह की अवधि के लिए रेस्पो. संख्या छः को सौर उर्जा संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से लीज पर दी जाकर उसे कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। अदालत हाजा की ओर से तलब मौका फर्द के मुताबिक मौके पर रेस्पो. संख्या छः की ओर से सोलर प्लांट स्थापित किये जाने हेतु बाउंड्री का निर्माण किया गया है तथा मौके पर सोलर प्लांट का कार्य निर्माणाधीन है। उक्त तथ्य से साबित है कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलार्थीनीगण का कब्जा काश्त नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीनीगण के वादग्रस्त आराजीयात में पुश्तैनी आधार पर खातेदारी अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। रेस्पो. संख्या छः द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खरीद न ही जाकर केवल लीज पर ली गई है। अपीलार्थीनीगण के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण होने के बाद वह विधिनुसार अपने हिस्से की भूमि को धारण किये जाने हेतु स्वतंत्र रहेगी। वर्तमान स्तर पर मौके पर काबिज लीजधारी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में न पाये जाकर रेस्पो. संख्या छः के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 दिसंबर 2025 को यथावत रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर